



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170593

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7716/2026

आरिस

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कुलदीप सिंह तोमर

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., संदीप कुमार पटेल

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह तोमर, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार जायसवाल तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 282 वर्ष 2025, धारा 115(2), 131, 352, 351(2), 110 बी.एन.एस., थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता नफीस अहमद द्वारा दिनांक 26.07.2025 को धारा 115(2), 131, 352, 351(2), 110 बी.एन.एस. के अंतर्गत दिनांक 25.07.2025 को घटित कथित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा अपराध संख्या 282 वर्ष 2025 के रूप में पंजीकृत की गई। दिनांक 26.07.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक तथा तीन अन्य सह-अभियुक्तों को नामजद किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 9:00 बजे सूचनाकर्ता का पुत्र मोहम्मद जावेद गोबर के गड्ढे की सफाई कर रहा था। अचानक आवेदक तथा तीन अन्य सह-अभियुक्त घातक हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घायल पर हमला कर दिया। आवेदक ने घायल के सिर पर धारदार हथियार (फावड़ा) से चोट पहुंचाई। सूचनाकर्ता द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

4- घायल-मोहम्मद जावेद की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार, उसके शरीर पर कुल तीन चोटें आई थीं। चोट संख्या 1 बाएं ओर सिर के ऊपरी भाग पर 1.5 सेमी x 0.5 सेमी x खोपड़ी की गहराई तक का विदीर्ण घाव था। अन्य दो चोटें लाल नीलगू तथा लाल सूजी हुई आघातजन्य सूजन थीं, जिन्हें प्रकृति में साधारण पाया गया। घायल की एक्स-रे आख्या दिनांक 06.08.2025 को तैयार की गई तथा रेडियोलॉजिस्ट की आख्या के अनुसार बाईं पार्श्विका तथा पश्चकपाल अस्थियों में फ्रैक्चर पाया गया। चोट संख्या 1 को प्रकृति में गंभीर होना अभिमत किया गया।

5- सूचनाकर्ता तथा घायल-मोहम्मद जावेद के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन की पुष्टि की तथा आरोप लगाया कि आवेदक ने फावड़े से घायल के सिर पर चोट पहुंचाई।

6- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 37 घंटे से अधिक समय के पश्चात दर्ज कराई गई, जिसका अभियोजन द्वारा समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित ही नहीं किया गया है। कथित अपराध कारित करने का न तो कोई आशय था और न ही कोई उद्देश्य। आवेदक और घायल के बीच कोई शत्रुता नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया तथा उसे धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नोटिस दिया गया, क्योंकि कथित अपराधों के लिए सात वर्ष से कम की कारावास की सजा का प्रावधान था। अब आरोप-पत्र दिनांक 14.09.2025 को संबंधित विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11375/2025 (श्रीमती शालिनी भाटेजा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य) में दिए गए निर्णय तथा इस न्यायालय द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 6400/2025 (श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य) में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने श्रीमती बच्ची देवी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्देशों पर पुरजोर भरोसा किया है। श्रीमती बच्ची देवी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्देशों को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"38- पूर्वोक्त विचार-विमर्श के आधार पर तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन संवैधानिक गारंटियों को प्रभावी बनाने के लिए, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के साथ-साथ सतेन्द्र कुमार अन्तिल (पूर्वोक्त) में जारी निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश देता है:-

(i)- सभी जिला न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रकरणों में, जहाँ बिना गिरफ्तारी के आरोप-पत्र दाखिल किया गया है—चाहे इसलिए कि विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा अभिरक्षात्मक पूछताछ नहीं की गई, अथवा अभियुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 226 या बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन अग्रिम जमानत/संरक्षण आदेश प्राप्त कर लिया हो और विवेचना के दौरान विधिवत् सहयोग किया हो—विचारण न्यायालय समन के अनुपालन में उपस्थित होने पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर नहीं भेजेगा और न ही नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने पर जोर देगा। अभियुक्त को प्रथम अवसर पर व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि मुशीर आलम (पूर्वोक्त) तथा सतेन्द्र कुमार अन्तिल (पूर्वोक्त) के अनुसार है। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 91 के अधीन जमानतदार की आवश्यकता पर बाद में न्यायालय के विवेकानुसार विचार किया जा सकता है।

(ii)- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 88, 170, 204 तथा 209 [बी.एन.एस.एस. की तत्सम धाराएँ 91, 190, 227 तथा 232] के अधीन कार्यवाही के चरण में,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय—चाहे उसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही हो—अभियुक्त को प्रथम अवसर पर व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने के उसके अधिकार से अवगत कराएगा तथा आवश्यकता होने पर बाद में जमानतदार प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(iii)- समन के प्रत्युत्तर में अभियुक्त की उपस्थिति के तुरंत पश्चात न्यायालय बी.एन.एस.एस., 2023 की धाराओं 230 एवं 231 का अनुपालन करेगा तथा जहाँ प्रकरण का विचारण केवल सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है, वहाँ उसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द करेगा और अनावश्यक विलंब के बिना विचारण के अगले चरण पर आगे बढ़ेगा।

(iv)- स्पष्टता के लिए, जब विचारण न्यायालय को ऐसे अग्रिम जमानत अथवा संविधान के अनुच्छेद 226 या धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन संरक्षण संबंधी आदेश प्राप्त होते हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल किए जाने तक संरक्षण निर्दिष्ट किया गया हो, अथवा यह निर्देश दिया गया हो कि "कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी"/"गिरफ्तारी पर रोक आरोप-पत्र दाखिल किए जाने तक प्रभावी रहेगी", तो ऐसे संरक्षण को विचारण की समाप्ति तक जारी माना जाएगा, जैसा कि गुरबख्श सिंह सिब्बिया (पूर्वोक्त), सुशीला अग्रवाल (पूर्वोक्त), सिद्धार्थ (पूर्वोक्त), सतेन्द्र कुमार अन्तिल (पूर्वोक्त) तथा मुशीर आलम (पूर्वोक्त) के अनुरूप है, जब तक कि ठोस कारणों द्वारा समर्थित कोई अपवादात्मक प्रकरण न बनता हो। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई उस निरंतर स्थिति के अनुरूप है, जिसका प्रारंभ गुरबख्श सिंह सिब्बिया (पूर्वोक्त) से हुआ, सुशीला अग्रवाल (पूर्वोक्त) में जिसकी पुष्टि हुई, सिद्धार्थ (पूर्वोक्त) में जिसे स्पष्ट किया गया तथा सतेन्द्र कुमार अन्तिल (पूर्वोक्त) और मुशीर आलम (पूर्वोक्त) में जिसे दोहराया गया। दिनांक 11.7.2022 के आदेश के पैराग्राफ 43, 44, 46 एवं 47; दिनांक 7.10.2021 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 3; दिनांक 16.12.2021 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 6; दिनांक 21.3.2023 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 4, 5 एवं 6; दिनांक 2.5.2023 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 7(ii); तथा सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सीबीआई में दिनांक 6.8.2024 को पारित आदेश के पैराग्राफ संख्या 229 से 239 का संदर्भ



लिया जा सकता है [उपर्युक्त सभी आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5191/2021 में पारित किए गए हैं]।

(v)- प्रत्येक जनपद में संयुक्त निदेशक (अभियोजन) ऐसे सभी प्रकरणों का विस्तृत अभिलेख रखेंगे, जिनमें गिरफ्तारी किए बिना आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बावजूद विचारण न्यायालयों ने अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में भेज दिया, जो अर्नेश कुमार (पूर्वोक्त), सिद्धार्थ (पूर्वोक्त), सतेन्द्र कुमार अन्तिल (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा मुशीर आलम (पूर्वोक्त) में की गई टिप्पणी के विपरीत है।

(vi)- सभी जेल अधीक्षक ऐसे प्रकरणों के अनुरूप अभिलेख भी रखेंगे। अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसमें उन प्रकरणों को रिमांड आदेश सहित दर्ज किया जाएगा, जहाँ विवेचना के दौरान गिरफ्तार न किए जाने के बावजूद अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया तथा न्यायिक रिमांड पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित निर्णयों के विपरीत है।

(vii)- अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), अभियोजन निदेशालय, लखनऊ, संयुक्त निदेशकों (अभियोजन) तथा जेल अधीक्षकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसे सभी मामलों का वार्षिक, केंद्रीकृत अभिलेख संकलित करेंगे। इस अभिलेख की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी तथा इसे उच्च अधिकारियों, जिनमें उच्च न्यायालय के महानिबंधक भी सम्मिलित हैं, को प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उपयोग न्यायिक एवं अभियोजन अधिकारियों के आचरण का आकलन करने के लिए किया जाएगा। अभियोजन निदेशालय बाध्यकारी निर्देशों के अनुपालन को बढ़ावा देगा, स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगा तथा आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखेगा। इसका उद्देश्य जोनल एवं क्षेत्रीय स्तरों पर पर्यवेक्षण की एक अतिरिक्त परत स्थापित करना है, जो अभियोजन निदेशालय द्वारा संधारित केंद्रीकृत आंकड़ों की पूरक होगी।

(viii)- निदेशक, जे.टी.आर.आई., लखनऊ, न्यायिक अधिकारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे, ताकि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ix)- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों के समन्वय से, अधिवक्ताओं को इन निर्देशों के संबंध में शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने के लिए नियमित विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे।

(x)- जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (a) ऐसे प्रकरणों की संख्या, जिनमें पूर्व गिरफ्तारी न होने के बावजूद न्यायिक रिमांड का आदेश दिया गया; (b) न्यायिक प्रशिक्षण तथा इन निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रतिक्रिया; तथा (c) आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों का विवरण। *Satender Kumar Antil v. CBI* में दिनांक 21.1.2025 को पारित आदेश के पैराग्राफ 11(d) का संदर्भ लिया जाता है।

(xi)- यह उल्लेख किया जाता है कि Sidharth (पूर्वोक्त) का निर्णय दिनांक 16.08.2021 को दिया गया था और *Satender Kumar Antil* (पूर्वोक्त) में दिनांक 11.7.2022 के आदेश द्वारा इसे और सुदृढ़ किया गया था। इसके बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालयों द्वारा उल्लंघन जारी रहे, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को *Satender Kumar Antil* के लगभग एक वर्ष बाद तथा Sidharth के दो वर्ष बाद एक जिला न्यायाधीश के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का निर्देश देना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के न्यायाधीश इन निर्देशों से अनभिज्ञ अथवा उदासीन बने हुए हैं। अतः यह सुरक्षित रूप से टिप्पणी की जा सकती है कि निर्णयों के संचरण पत्र के मुखपृष्ठ पर जिला न्यायाधीशों द्वारा केवल 'seen' अंकित करने की दीर्घकालिक प्रथा अपनी प्रभावशीलता खो चुकी है। अतः विद्वान जिला न्यायाधीश निम्नलिखित अंकित करेंगे: "पढ़ा, समझा और जनपद के सह-न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श किया", और अपने सह-न्यायाधीशों के साथ इस निर्णय पर विचार-विमर्श करने के पश्चात, इस आशय की रिपोर्ट इस न्यायालय के महानिबंधक को इस आदेश की प्रति प्राप्त होते ही तत्काल प्रस्तुत करेंगे।"

8- इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के लिए की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक मुख्य अभियुक्त है, जिसने घायल के सिर पर फावड़े से चोट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहुंचाई थी। घायल काफी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। प्रत्यक्षदर्शी कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट होता है और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोप की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए, आवेदक अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी नहीं है।

9- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

10- इस न्यायालय को आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों पर ससम्मान विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शालिनी भाटेजा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में दिया गया निर्णय प्रतिदाय (refund) से इनकार करने से संबंधित धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशिष्ट तर्क तथा उसके पश्चात दिए गए निर्देशों को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"7- पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि पैराग्राफ 11 और 12 में उल्लिखित अन्य कार्यवाहियों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा के समक्ष प्रस्तुत सी.सी. संख्या 19488/2025 की कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। विद्वान मुख्य मजिस्ट्रेट, करकड़ूमा न्यायालय के समक्ष सी.सी. संख्या 1971 of 2023, एसएलपी (आपराधिक) 11375/2025 की कार्यवाही भी पक्षकारों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त मानी जाएगी। अपर सत्र न्यायाधीश-II, शाहदरा, कड़कड़ूमा, दिल्ली भी उनके समक्ष प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 206/2024 को आगे न बढ़ाए गए प्रकरण के रूप में निस्तारित करेंगे। जहाँ तक थाना ताजगंज, जनपद आगरा के मुकदमा अपराध से संबंधित वर्तमान कार्यवाही सी.सी. संख्या 396/2025 का संबंध है, उसमें आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ताओं को अभिरक्षा में लिए जाने का कोई कारण नहीं है।

8- याचिकाकर्ता आज से एक माह की अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जिसके पश्चात उन्हें जमानत प्रदान की जाएगी और उसी दिन आरोप पढ़कर सुनाए जाएंगे। जमानत ऐसी शर्तों पर प्रदान की जाएगी, जिन्हें क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय अपने विवेकानुसार संतोषजनक पाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेंगे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11- इस न्यायालय की राय में, **शालिनी भाटेजा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश केवल उस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तक सीमित थे। वर्तमान आवेदन के साथ संबंधित विद्वान न्यायालय की आदेश-पत्रिका संलग्न नहीं की गई है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या वर्तमान आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए संबंधित न्यायालय द्वारा विधिवत् समन किया गया है। वर्तमान प्रकरण में, शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 14 में उल्लिखित अनुसार, विवेचना के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में दिए गए निर्देशों का संबंध है, इतना कहना पर्याप्त है कि जिन आदेशों पर भरोसा किया गया था, वे **मुशीर आलम (पूर्वोक्त)** तथा **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सीबीआई एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** के निर्णय थे। पैराग्राफ संख्या 38(i) में दिए गए निर्देशों का संबंधित न्यायालय/जिला न्यायालयों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, जहाँ अभियुक्त को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है। ये निर्देश अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के निस्तारण के लिए जारी नहीं किए गए थे।

12- जैसा कि ऊपर कहा गया है, **शालिनी भाटेजा (पूर्वोक्त)** का प्रकरण प्रतिदाय से इनकार करने से संबंधित धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित था और उस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि एक सिविल विवाद को गलत रूप से आपराधिक प्रकरण में परिवर्तित कर दिया गया है। उस प्रकरण में समान तथ्यों के आधार पर विभिन्न थानों में तीन अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थीं। वर्तमान प्रकरण धारा 110 बी.एन.एस. (तत्सम धारा 308 आई.पी.सी.) से संबंधित है, जिसमें आवेदक द्वारा एक व्यक्ति के सिर पर चोट पहुंचाई गई थी, जिसे प्रकृति में गंभीर पाया गया। आवेदक के विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य से प्रथमदृष्टया संकेत मिलता है कि वह कथित अपराध में संलिप्त था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। आवेदक झूठे फंसाए जाने अथवा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का कोई प्रकरण बनाने में सक्षम नहीं हुआ है।

13- **श्रीकान्त उपाध्याय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2024) 12 एससीसी 382** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहे जाने पर न्यायालय को अत्यंत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि गंभीर प्रकरणों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण अथवा संरक्षण प्रदान करने से न्याय का विफल होना संभव है। जब गिरफ्तारी का वारंट अथवा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उद्घोषणा जारी कर दी गई हो, तो आवेदक इस असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। **श्रीकान्त उपाध्याय (पूर्वोक्त)** के प्रकरण का प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 30 निम्नवत् उद्धृत है:-

"30- हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि अनेक प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत एक नियम है, तथापि किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत भी नियम है। यह नियम नहीं हो सकती और इसे प्रदान किए जाने का प्रश्न प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए न्यायालय के सावधानीपूर्ण एवं विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहे जाने पर संबंधित न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि गंभीर प्रकरणों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण अथवा संरक्षण प्रदान करने से न्याय का विफल होना संभव है और इससे विवेचना काफी हद तक प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी इससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ अथवा उसे नष्ट किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारा आशय यह अभिनिर्धारित करना नहीं है कि ऐसे आवेदन पर विचार किए जाने तक न्यायालय अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की अनावश्यक गिरफ्तारी के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश उन प्रकरणों में पारित किए जाने चाहिए जो स्पष्टतः इसके लिए उपयुक्त हों। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी का वारंट अथवा उद्घोषणा जारी कर दी गई हो, तो आवेदक असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। निःसंदेह, इससे न्यायहित में चरम एवं अपवादात्मक प्रकरणों में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति समाप्त नहीं होगी। किंतु जो व्यक्ति लगातार आदेशों की अवहेलना करता रहे और फरार रहता रहे, वह ऐसी जमानत प्रदान किए जाने का अधिकारी नहीं है।"

14- पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि इसके अन्य अनेक उद्देश्य भी हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपवादात्मक प्रकरणों में प्रदान किया जाना चाहिए। पी. चिदंबरम (पूर्वोक्त) के प्रकरण का प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 69 निम्नवत् पुनरुत्पादित है:-

"69- सामान्यतः गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि इसके अन्य अनेक उद्देश्य भी हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल अपवादात्मक प्रकरणों में प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदान किए गए न्यायिक विवेक का उचित रूप से प्रयोग, आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक के न्याय से फरार होने की संभावना तथा यह निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों पर विचार करने के पश्चात किया जाना चाहिए कि क्या यह अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त प्रकरण है। अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना कुछ सीमा तक किसी अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और इसलिए न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रदान करने की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अग्रिम जमानत नियम के रूप में प्रदान नहीं की जानी चाहिए और इसे केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि उस असाधारण उपचार का सहारा लेने के लिए अपवादात्मक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।"

15- यहाँ किशोर विश्वराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528 शीर्षक वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 14 एवं 15 निम्नवत् हैं:-

"14-.....

74- सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य अनेक प्रयोजनों को सुनिश्चित करना है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें अभियुक्त ऐसी सूचना प्रदान कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों एवं प्रासंगिक जानकारी की खोज हो सके। अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना विवेचना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा विवेचना अभिकरण के उस अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिसके अंतर्गत वह अब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तक एकत्रित सामग्री के संबंध में अभियुक्त से पूछताछ कर सके तथा ऐसी और जानकारी एकत्र कर सके, जिससे प्रासंगिक जानकारी की बरामदगी हो सकती है.....

6-

75- यह टिप्पणी करते हुए कि गिरफ्तारी विवेचना का एक भाग है, जिसका उद्देश्य अनेक प्रयोजनों को सुनिश्चित करना है, अद्वी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [अद्वी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 SCC 303: 2005 SCC (Cri) 933] में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया था: (SCC पृष्ठ 313, पैराग्राफ 19)

"19- सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य अनेक प्रयोजनों को सुनिश्चित करना है। अभियुक्त से अपराध के उद्देश्य, तैयारी, अपराध कारित किए जाने तथा अपराध के पश्चात की परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं तथा अपराध में अन्य व्यक्तियों की, यदि कोई हों, संलिप्तता के संबंध में विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें अभियुक्त ऐसी सूचना प्रदान कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज हो सके। विवेचना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने तथा साक्षियों और अपराध के पीड़ित से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा करने, उसके गायब हो जाने से रोकने तथा स्थानीय क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। इन अथवा अन्य कारणों से गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का अपरिहार्य भाग बन सकती है। प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधता पर संहिता की धारा 438 के अधीन आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता। विवेचक की भूमिका सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित है और विवेचना की प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार सीमित है। न्यायालय सामान्यतः किसी संज्ञेय अपराध की विवेचना अथवा अभियुक्त की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संहिता की धारा 438 के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते समय गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश, किसी भी स्थिति में, विवेचना में हस्तक्षेप के समान होगा, जो धारा 438 के अधीन नहीं किया जा सकता।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



76- सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 1 SCC 694: (2011) 1 SCC (आपराधिक) 514] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत से संबंधित प्रकरण पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों एवं मापदंडों को निर्धारित किया। अभिनिर्धारित किया गया कि गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता तथा अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को समुचित रूप से समझा जाना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे क्षति पहुँचाने अथवा अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

77- सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 1 SCC 694: (2011) 1 SCC (आपराधिक) 514] तथा अन्य निर्णयों का संदर्भ लेने और यह टिप्पणी करने के पश्चात कि अग्रिम जमानत केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है, Jai Prakash Singh v. State of Bihar [Jai Prakash Singh v. State of Bihar, (2012) 4 SCC 379: (2012) 2 SCC (Cri) 468] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया: (SCC पृष्ठ 386, पैराग्राफ 19)

"19- गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत प्रदान करने के मापदंडों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त, ऐसी राहत प्रदान करते समय न्यायालय को उसके कारणों को अभिलिखित करना चाहिए। अग्रिम जमानत केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है, जहाँ न्यायालय प्रथमदृष्टया इस मत का हो कि आवेदक को अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण, (2007) 4 एससीसी 434: (2007) 2 एससीसी (सीआरआई) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मो. साजिद हुसैन मो. एस. हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मो. साजिद हुसैन मो. एस. हुसैन, (2008) 1 एससीसी 213: (2008) 1 एससीसी (सीआरआई) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण



अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (सीआरआई) 111]"

आर्थिक अपराध

78- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन शक्ति एक असाधारण उपचार होने के कारण, इसका प्रयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए; विशेष रूप से आर्थिक अपराधों के प्रकरणों में। आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी के होते हैं, क्योंकि वे समाज के आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं। **प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एससीसी 105: 1998 एससीसी (आपराधिक) 510]** में अभिनिर्धारित किया गया कि आर्थिक अपराधों में अभियुक्त अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है।

15- **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, इस संभावना कि वह विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा न्याय से फरार हो सकता है, पर विचार करना होता है। न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया:-

"92.4- अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारणीय तत्वों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है; इसी प्रकार, क्या और यदि हाँ, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें अधिरोपित की जानी हैं (या नहीं की जानी हैं), यह भी प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है तथा न्यायालय के विवेक के अधीन है।"

16- प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवेचना अधिकारी ने विधिवत् विवेचना के पश्चात वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। विवेचना अधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री एकत्र की गई है, जो कथित अपराध में उसकी दोषसिद्धि की ओर संकेत करती है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि उसके विरुद्ध पंजीकृत प्रकरण झूठा है। इस स्तर पर अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि आवेदक के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनता है। अभिलेख पर आई सामग्री तथा प्रारंभिक विवेचना आरोपों के लिए एक युक्तिसंगत आधार स्थापित करती प्रतीत होती है।

17- इस न्यायालय के मत में, नियमित जमानत प्रदान करने तथा अग्रिम जमानत प्रदान करने के मापदंड भिन्न हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जो आधार किसी अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हों, वे उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी पर्याप्त हों। आगे, माननीय शीर्ष न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबख्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565** के प्रकरण में भी टिप्पणी की कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए, इस न्यायालय के मत में, ऐसी असाधारण शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता।

18- अग्रिम जमानत का आवेदन एतद्वारा **निरस्त** किया जाता है।

19- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाएगा। आवेदक आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उपस्थित होकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, जिस पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा और इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना आदेश पारित किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

नितेन्द्र